जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ./प्रशा./प्रवेश/2023/7674 दिनांक 06/12/23

// अधिसूचना //

म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक /एफ–1–6/2017/38–3 भोपाल दिनांक 14/06/2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ/प्रशा0/प्रवेश/2023/7478 दिनांक 03/10/2023 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में लोकपाल की व्यवस्था कर दी गई है जिसमें प्रकरणों की सुनवाई हेतु म0प्र0 शासन के आदेशानुसार प्रो0 एस0के0द्विवेदी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों के निराकरण हेतु लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। जिन विषयों पर विश्वविद्यालय में शिकायतकर्ताओं द्वारा सुनवाई हेतु आवेदन प्राप्त किये जावेगें वे निम्नानुसार है:–

1. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना।
2. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रकिया में अनियमितता।
3. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना।
4. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना।
5. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जो कि झूठी या भ्रामक हो और तथ्यों पर आधारित न हो।
6. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किये गये किसी दस्तावेज जो कि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो, उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सकें जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो।
7. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।
8. छात्र की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाना।
9. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तो, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना।
10. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना।
11. विवरणिका में यथा उल्लिखित अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना।
12. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर–पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां।
13. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, वशर्ते यह समय–समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है।

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों से कथित भेदभाव की शिकायत।
15. प्रवेश दिये जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना।
16. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्यवाही की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
17. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों या दिशा निर्देशों के विपरीत कोई कार्यवाही किया जाना अथवा शुरू किया जाना, तथा
18. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए नियमों और/या दिशा निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्यवाही किया जाना अथवा शुरू किया जाना।

उपरोक्त विषयों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को आवक शाखा में निर्धारित फार्म में भरकर प्रस्तुत किया जा सकेगा यह फार्म वि0वि0 की बेवसाईड jiwaji.edu. से प्राप्त किया जा सकता है।

कुलसचिव

प्रति,

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्रायें।

प्रतिलिपि :–

1. प्रो0 एस0के0 द्विवेदी (लोकपाल), सेवानिवृत्त प्राध्यापक, प्रा0भा0इति0संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, समस्त अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. प्रभारी, आई0टी0 सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की बेवसाईड पर अपलोड करें।

सहा0–कुलसचिव (प्रशा0)

कार्यालय लोकपाल
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
लोकपाल शिकायत हेतु
आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम...

2. पूरा पता / ई–मेल...

....

3. दूरभाष क्रमांक / मोबाईल न0...

4. आवेदन के देने का दिनांक...

5. शिकायत से संबंधित विभाग...

6. शिकायत का संक्षिप्त विवरण...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

sh/karandikar Letter